

सड़कों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया

समाचारों में क्यों?

- प्रारंभ: हम देखते हैं कि हमारे नौनहिलों का बचपन 2 फुट के फुटपाथ की काली-सफेद पट्टियों में ही फँसकर खत्म हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों पर जीवन यापन करने पर विश्व बच्चों के संरक्षण एवं देखभाल के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure-SOP) का शुभारंभ किया गया है।

एसओपी का उद्देश्य

- उल्लेखनीय है कि मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य सड़कों पर जीवन यापन करने पर विश्व बच्चों का पुनर्वास के साथ-साथ हफिज़ात को भी सुनिश्चित करना है।
- विदेशी हो करिष्टरीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़कों पर जादिगी गुज़ारने पर मजबूर बच्चों के लिये इस अत्यावश्यक रणनीति को विकसित करने हेतु 'सेव द चलिडरेन' नामक एक संविलिंग सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन किया है।

क्यों खास है यह एसओपी?

- विदेशी हो करिष्टरीय एसओपी विभिन्न क्षेत्रों में कायि गए वसितृत शोध अध्ययनों के नष्टिकरणों और लगभग 35 एनजीओ के साथ कायि गए क्षेत्रीय विचार-विमर्श से उभर कर सामने आए सुझावों पर गौर करने के बाद तैयार की गई है।
- एसओपी को तैयार करने से पहले दलिली में उन बच्चों से भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सलाह-मशवरा किया गया, जो सड़कों पर जीवन यापन करने की विविधता से अपने-आपको उबार चुके हैं। अतः इस उपकरण की प्रकृति निश्चित ही व्यवहारकि होगी जिससे इसके सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कैसे कार्य करेगी यह एसओपी?

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये आवश्यक कदमों वाली एक वसितृत रूपरेखा तय करने का नियमित लिया क्योंकि इस तरह के बच्चों की समस्याएँ बहुआयामी एवं जटिल होती हैं।
- एसओपी का लक्ष्य मौजूदा वैधानिक एवं नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत विभिन्न कदमों को दुरुस्त करना है। एसओपी का उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को चिनिहति करना है जिन पर अमल तब किया जाएगा, जब सड़कों पर जीवन यापन करने वाले कसी बच्चे की पहचान एक जरूरतमंद बच्चे के रूप में हो जाएगी।
- ध्यातव्य है कि एसओपी की मौजूदा रूपरेखा के अंतर्गत ही होंगी और इनकी बदौलत विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में समुचित तालमेल संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ये प्रक्रियाएँ इन बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु समस्त हतिधारकों के लिये एक दशा-नियन्त्रित करने के रूप में होंगी।